न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश कुमार चौधरी आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 01/2017 (प्रा0पत्र–आवंटन निरस्तीकरण)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद, जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

औकार पुत्र भैरू माली (मृतक) जर्ये का0मु0
1. पन्नालाल
2. धन्नालाल
3. रमेश पुत्रान औकार निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा
4. मोत्याबाई
5. मथुरीबाई पुत्रियां औकार निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा
6. कौशलकिशोर पुत्र कन्हैयालाल निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा
7. प्रेमबाई बेवा कन्हैयालाल निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा

(अप्रार्थी)

उपस्थित :– 1. पेरोकार सरकार (राजकीय पेरोकार प्रार्थी की ओर से)
2. श्री घनश्याम नागर (अभिभाषक, अप्रार्थी न01 की ओर से)

प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) सपठित राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 संशोधित अधिनियम 1957 के अन्तर्गत अप्रार्थी का आवंटन निरस्त करने बाबत

निर्णय दिनांक : 25.10.2024

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 (4) एंव राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के संशोधित नियम 1957 के अन्तर्गत प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र इस बाबत प्रस्तुत किया गया है कि अप्रार्थी श्री औकार आत्मज भैरू जाति माली को आंवटन शिविर दिनांक 22.06.1989 में भूमि खसरा संख्या 1739, 1740 रकबा 0.04, 0.03 है0 वाके ग्राम सुल्तानपुर पटवार मण्डल सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा को आंवटित की गई थी। उक्त भूमि पर उक्त आवंटी को कब्जा सुपुर्द/ दखल दिया गया था, जिसका दखल नामा संलग्न है। आवंटी को बावजूद दखल आवंटन नियमो की पालना निम्न प्रकार नहीं की जा रही है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं जा रही है। भूमि पर कब्जा नहीं है। आवंटी द्वारा भूमि को बेचान करना जाहिर हुआ है। अतः आवंटन दिनांक 22.06.1989 को आवंटी श्री औंकार पुत्र भैरू माली निवासी सुल्तानपुर को किया गया आवंटन खारिज योग्य है, क्योकि आवंटी द्वारा राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 (4) एंव राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम

1954 के संशोधित नियम 1957 में आवंटन हेतु विहित नियमो का उल्लंघन किये जाने से आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से आवंटन निरस्त योग्य है। अतः उक्तांकित कारणों से आवंटी को किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जाकर भूमि राजकीय खाते में दर्ज किऐ जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। का0मु0अप्रार्थी न0 1 की ओर से घनश्याम नागर अभिभाषक उपस्थित। शेष का0मु0 अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित। शेष का0मु0 अप्रार्थी पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर पेरोकार सरकार एवं अप्रार्थी न01 की बहस सुनी गई।

3. का0मु0 अप्रार्थी न01 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी न01 का कथन है कि प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। उक्त आवंटन कोलोनाइजेशन एरिया का होने से श्रीमान सक्षम नहीं है। कीमत व आवंटन राशि जमा है। आवंटन लगभग 40 वर्ष पूराना है काफी मेहनत, पैसा खर्च कर समतल व उपजाउ बनाया है। इस कारण इतने लम्बी अवधि के बाद आवंटन निरस्त करने का कोई आधार नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र की प्रति प्रदान नहीं की है। जिसके कारण प्रार्थना पत्र व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए । अप्रार्थी का कानूनी अधिकार है कि उसे दस्तावेज व प्रार्थना पत्र की प्रति तुरन्त प्रदान की जावे ताकि अप्रार्थी अपना समुचित जवाब प्रस्तुत कर सके। अप्रार्थी पटवारी से व तहसीलदार से जिरह करना चाहता है जिसका अवसर प्रदान किया जावे। अप्रार्थी के पिता जीवन प्रर्यन्त काबिज रहे और स्वर्गवास बाद अप्रार्थी उपयोग उपभोग कर रहा है। किसी आवंटन शर्त का उल्लघंन नहीं किया है। मात्र गरीबी अशिक्षिता के कारण प्रकरण दर्ज करवाया है। कोई राशि बकाया नहीं है। हो तो ब्याज सहित जमा करवाने को तैयार है। अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की है। उक्त आराजी ही अप्रार्थी के जीवनयापन का एक मात्र सहारा है। अन्य कोई आराजी नहीं है। पूरे परिवार इस पर ही निर्भर है। दलालो के प्रभाव में आकर कार्यवाही की है, जो खारिज की जावे। अप्रार्थी को साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत करवाने का समुचित अवसर प्रदान किया जावे। आवंटी के सभी वारिसान को तलब कर सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जावे। आवंटन के बाद से नियमो की पालना निरन्तर की है। प्रार्थना पत्र में कोई कारण नहीं बताया गया है। आवंटन के समय की खसरा गिरदावरी प्रार्थी से तलब की जावे। जिनमे स्पष्ट रूप से अप्रार्थी का कब्जा प्रकट होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

4. राज़कीय पेरोकार का बहस में कथन है कि तहसीलदार दीगोद की रिपोर्ट दिनांक 22.12.2016 एवं 29.08.2024 के अनुसार उक्त भूमि पडत पडी हुई हैं। उक्त भूमि पर घनश्याम पुत्र बंशीधर जाति महाजन का कब्जा है। एवं उक्त भूमि आवंटी गैर खातेदार द्वारा श्री घनश्याम पुत्र बंशीधर जाति महाजन सुल्तानपुर को तत्समय लगभग 20 वर्ष पूर्व से बेचान की जा चुकी है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं जा रही है। भूमि पर कब्जा नहीं है। आवंटी द्वारा भूमि को बेचान करना जाहिर हुआ है। अतः आवंटन दिनांक 22.06.1989 को आवंटी श्री औंकार पुत्र भैरू माली निवासी सुल्तानपुर को किया गया आवंटन खारिज योग्य है।

5 अप्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का प्रार्थना पत्र में बहस में कथन है कि अप्रार्थी श्री औकार आत्मज भैरू जाति माली को आंवटन शिविर दिनांक 22.06.1989 में भूमि खसरा संख्या 1739, 1740 रकबा 0.04, 0.03 है0 भूमि नियमानुसार आवंटन की गई थी। अप्रार्थी द्वारा किसी आवंटन शर्त का उल्लघंन नहीं किया है। कोई राशि बकाया नहीं है। हो तो ब्याज सहित जमा करवाने को तैयार है। उक्त आराजी ही अप्रार्थी के जीवनयापन का एक मात्र सहारा है। अप्रार्थी को साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत करवाने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। आवंटी के सभी वारिसान को तलब कर सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जावे।

अप्रार्थी ने आवंटन के बाद से नियमो की पालना निरन्तर की है। अप्रार्थी का आवंटन निरस्त किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

6. प्रकरण में उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई, जिनके द्वारा उपरोक्तांकित अपने अपने कथनों को बहस में दोहराया। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त यह पाते है कि अप्रार्थी श्री औकार आत्मज भैरू जाति माली को आंवटन शिविर दिनांक 22.06.1989 में भूमि खसरा संख्या 1739, 1740 रकबा 0.04, 0.03 वाके ग्राम सुल्तानपुर पटवार मण्डल सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा को आंवटित की गई थी। उक्त भूमि पर उक्त आवंटी को दखल दिया गया था, परन्तु तहसीलदार दीगोद की रिपोर्ट दिनांक 22.12.2016 एवं 29.08.2024 के अनुसार उक्त भूमि पडत पडी हुई हैं। उक्त भूमि पर घनश्याम पुत्र बंशीधर जाति महाजन का कब्जा है। एवं उक्त भूमि आवंटी गैर खातेदार द्वारा श्री घनश्याम पुत्र बंशीधर जाति महाजन सुल्तानपुर को तत्समय लगभग 20 वर्ष पूर्व से बेचान की जा चुकी है। पत्रावली में उपलब्ध मुख्तारनामा एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन से आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं जा रही है। भूमि पर कब्जा नहीं है। आवंटी द्वारा भूमि को बेचान करना जाहिर हुआ है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंधन करते हुऐ खातेदारी अधिकार प्राप्त होने से पूर्व ही उक्त आवंटित आराजी को गैरखातेदारी अवस्था में ही अन्य व्यक्ति को बेचान कर मौके पर केता को कब्जा संभलाकर आवंटन शर्तो का उल्लंघन पाया जाता है। उक्त आराजी पर अप्रार्थी आवंटी गैर खातेदार औकार का नियमित कब्जा काश्त नहीं रहा है, और किसी न किसी रूप मे अन्य व्यक्ति का कब्जा काश्त रहा है। जो आवंटी को आवंटित उसकी गैरखातेदारी में दर्ज आराजी के लिऐ विधि विपरीत स्थिति होने से जाहिर तौर पर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया जाना पाते है। अतएव प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाते हुऐ स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

7 अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 (4) एंव राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के संशोधित नियम 1957 के अन्तर्गत प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को वाके ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद की आराजी खसरा नम्बर 1739 रकबा 0.04 व 1740 रकबा 0.03 हैक्टयर का आवंटन आदेश दिनांक 22.06.1989 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार दीगोद उक्त भूमि राजकीय सिवायचक खाता सरकार दर्ज करे।

8 निर्णय आज दिनांक 25.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा